

प्रार्थी  
राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक,  
शाखा-त्रिसंगिया, नागौर जरिये  
प्राधिकृत अधिकारी

बनाम

अप्रार्थी

1. श्रीमति सुशीला देवी पत्नी भंवर लाल  
जाट ग्राम-गर्वा की ढाणी, राजास,  
पोस्ट गोविंदी, तहसील नावां जिला  
नागौर राज0-341509

किस्म मुकदमा -सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 संख्या 33 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
20.10.22	<p>वकील प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत बंधक सम्पत्ति का अप्रार्थी से कब्जा लेकर प्रार्थी को सुपुर्द करने के आदेश प्रदान करने बाबत प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थी दिनांक 01/11/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">जिला मजिस्ट्रेट, नागौर</p>	
01/11/22	<p>वकील प्रार्थी श्री डिपेन्द्र कुमार शर्मा उपस्थित। वकील प्रार्थी ने हस्तगत प्रार्थना पत्र को Note Press करते हुए कथन किया कि वह इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को Note Press करने के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">(पीयूष समारिया) जिला मजिस्ट्रेट, नागौर</p>	<p>Not Press कोई कार्यवाही नहीं चाहिए है Dependent Str</p>